



# कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर -452007 फोन नं. आ. 0731-2537315

<https://www.mptax.mp.gov.in>, E-mail : [commissioner.ho@mptax.mp.gov.in](mailto:commissioner.ho@mptax.mp.gov.in)

प्रति,

अपीलीय प्राधिकारी, (समस्त)  
करनिर्धारक अधिकारी, (समस्त)  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

**मानक अनुपालन प्रक्रिया (SOP)  
वर्चुअल व्यक्तिगत सुनवाई**

**विषय :** मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अपील एवं कर निर्धारण प्रकरणों में वर्चुअल व्यक्तिगत सुनवाई संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करने बाबत।

## वर्चुअल व्यक्तिगत सुनवाई संबंधी दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73/74/74 A की कार्यवाही के अंतर्गत धारा 75 की उपधारा (4) एवं धारा 126 की उपधारा (3) तथा धारा 107 की उपधारा (8) में दिए गए प्रावधान के अनुसार कर- निर्धारक अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सुनवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर मांग, दंड अथवा अन्य किसी प्रतिकूल कार्रवाई का सामना कर रहे व्यक्ति या संस्था को सुने जाने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निष्पक्ष एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। उक्त प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।

- वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, कर प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता तथा अनुपालन की सुगमता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत फेसलेस (Faceless) एवं प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत धारा 73/74/74A में लिखित निवेदन प्राप्त होने या प्रतिकूल आदेश के पारित करने के पूर्व एवं धारा 126 में आदेश पारित किये जाने के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य रूप से वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाये। इसी प्रकार धारा 107(8) के अंतर्गत अपील की सुनवाई भी वर्चुअल माध्यम से ही आयोजित की जाएगी, इससे करदाताओं के लिए अधिक सुलभ एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी एवं श्रम, संसाधन एवं समय की बचत होगी।
- तदनुसार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सभी कार्य हेतु नियुक्त एवं कार्यरत समुचित अधिकारी (जिन्हें आगे "अधिकारी" कहा जाएगा) अथवा अपीलीय प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा जाएगा) द्वारा पारदर्शिता, दक्षता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कड़ाई से पालन हेतु वर्चुअल सुनवाई के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ एवं प्रोटोकॉल निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं :-
  - किसी भी कार्यवाही में सभी व्यक्तिगत सुनवाईयाँ अनिवार्य रूप से वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएँगी तथा किसी भी व्यक्ति की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि व्यक्तिगत सुनवाई का वर्चुअल माध्यम से आयोजन अनिवार्य किया गया है, तथापि अत्यंत विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में, व्यक्ति द्वारा सकारण आवेदन दिये जाने पर, कि वह क्यों भौतिक सुनवाई चाहता है, उपरांत ही भौतिक सुनवाई की जा सकेगी।

- उपायुक्त, राज्य कर, सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति प्रदान करने वाले प्रकरणों की जानकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित संयुक्त आयुक्त को दी जायेगी।
- वर्चुअल सुनवाई हेतु विभिन्न प्लेटफार्म जैसे NIC Webex, Google Meet, Microsoft Teams आदि पर कम्प्यूटर/लेपटॉप/मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकेगा।
- सुनवाई हेतु नियत दिनांक तथा समय की सूचना BO Portal के माध्यम से नियमानुसार दी जायेगी। वर्चुअल सुनवाई की तिथि, समय तथा वर्चुअल लिंक, करदाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को पंजीकृत ई-मेल आईडी एवं/या मोबाइल नंबर पर पूर्व सूचना के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा (प्रारूप-एक)। वर्चुअल लिंक सुनवाई के 01 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जावेगी। सुनवाई के दौरान उक्त ई-मेल में प्राधिकारी/ अधिकारी, उस अधिकारी/कर्मचारी का विवरण एवं मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराएगा, जो वर्चुअल सुनवाई के संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। वर्चुअल लिंक को संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

- e. करदाता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि आवश्यक एप्लिकेशन पूर्व में डाउनलोड करेगा तथा उपयुक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं बैंडविड्थ सुनिश्चित करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर वर्चुअल सुनवाई में सम्मिलित होगा।
- f. अधिकृत प्रतिनिधि को वकालतनामा अथवा विधिवत प्राधिकार पत्र, फोटो पहचान पत्र की प्रति तथा मोबाईल नंबर एवं ईमेल की जानकारी सुनवाई से पूर्व संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक मोड से उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसे करदाता का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- g. वर्चुअल सुनवाई संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी के कार्यालय से ही संचालित की जाएगी।
- h. वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उपयुक्त वेशभूषा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा हर समय शिष्टाचार एवं गरिमा बनाए रखनी होगी।
- i. वर्चुअल सुनवाई के विवरण को संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अभिलेख (Record of Personal Hearing) के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसे पीडीएफ प्रारूप में तैयार कर प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा इसकी प्रति करदाता के पंजीकृत ई-मेल पते पर प्रारूप के अनुसार प्रेषित की जाएगी (प्रारूप-दो)।
- j. नियत दिनांक को स्थगन की स्थिति में अगली सुनवाई तिथि का विवरण देते हुए स्थगन की सूचना BO Portal के माध्यम उसी दिन अनिवार्यतः प्रेषित की जाएगी।
- k. यदि करदाता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि वर्चुअल सुनवाई के दौरान किसी दस्तावेज (जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज भी सम्मिलित हों) पर विचार किए जाने का अनुरोध करता है, तो ऐसे स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन प्रति वर्चुअल सुनवाई से पूर्व आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी को भेजी जा सकती है।
- l. वर्चुअल सुनवाई की कार्यवाही तथा उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत दस्तावेज मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए वैध अभिलेख माने जाएंगे तथा उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 के साथ पढ़ा जाएगा।

- m. विभाग का कोई भी अधिकारी आवश्यकता अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बंधित समुचित अधिकारी/ प्राधिकारी की अनुमति से वर्चुअल सुनवाई में भाग ले सकता है।
  - n. ऐसे मामलों में, जहाँ सम्बंधित प्राधिकारी/अधिकारी यह पाता है कि किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि एवं समय पर, सुनवाई नहीं की जा सकती है, तो उक्त प्राधिकारी/अधिकारी यथासंभव नियत सुनवाई के पूर्व ही इसकी सूचना करदाता को देने का प्रयास करेगा ताकि करदाता के समय एवं संसाधनों का अपव्यय ना हो।
4. इस मानक अनुपालन प्रक्रिया को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ही पढ़ा जाए।
  5. इस मानक अनुपालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई की सूचना यथाशीघ्र कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रदान की जाए।
  6. उक्त मानक अनुपालन प्रक्रिया दिनांक 01/04/2026 से अनिवार्यतः लागू होगी। समस्त अपीलीय प्राधिकारी एवं समुचित अधिकारी इस प्रक्रिया का पालन यथासंभव तत्काल प्रारम्भ करेंगे तथा दिनांक 01/04/2026 के पूर्व समस्त कर सलाहकार संघों एवं व्यवसाई संगठनों को अवगत करायेंगे।

आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद, भोपाल, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश